कार्रवाई

भू संपदा विनयामक प्राधिकरण को लेकर कार्यशाला आयोजित

उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई : विवेक

दीपक गौरंगी

भागलपुर : भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने शुक्रवार को भागलपुर प्रमंडल में आयोजित संवेदीकरण सह अधिमुखीकरण कार्यशाला का उद्घाटन किया। श्री सिंह ने कहा कि अब सभी जिलों को एक पुस्तिका भेजी जाएगी। जिसमे उस जिले में निबंधित प्रोजेक्ट्स, निबंधित रियल एस्टेट एजेंट से संबंधित सूचना होगी, उस जिले के आयोजन क्षेत्र की विस्तृत जानकारी एवं प्रोजेक्ट्स एवं प्रोमोटर्स की रैंकिंग की सूचना होगी। इस कदम का उद्देश्य जिलों को विस्तृत सूचना प्रदान करना है ताकि वे रेरा कानून का उल्लंघन करने वाले अनिबंधित प्रोजेक्ट्स के प्रोमोटर्स एवं एजेंट्स की सूचना दे सकें ताकि उनपर कानूनी कार्रवाई की जा सके। यह सभी जिलों के पदाधिकारियों एवं आरक्षी अधीक्षकों को सुविधा दी जायेगी। इसमे किसी पीड़ित घर खरीदारों को शिकायत को रेरा बिहार के पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा और इस पर त्वरित कारवाई होगी। उन्होंने भागलपुर प्रमंडल के जिलों के जिला, पुलिस एवं एवं म्युनिसिपल प्रशासन से आग्रह किया है कि वे रेरा अधिनियम को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। फ्लैट/भूखंड खरीदारों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से ही भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016, को लागू किया गया था। इसलिए, जमीनी स्तर पर इसके प्रभावी क्रियान्वयन और अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए जिला एवं म्युनिसिपल प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासनों से रेरा अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन करने के लिए रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रपत्र तैयार कर सभी जिलों को भेजा गया है तथा यह आवश्यक है कि जिलों से रिपोर्ट निर्धारित रूप से भेजी जाए ताकि रेरा कानून का पालन और प्रभावी ढंग से कराया जा सके। इस कार्यशाला में रेरा बिहार के जांच आयुक्त संजय सिंह, भागलपुर के पुलिस महानिरीक्षक विवेक कुमार, भागलपुर के जिला पदाधिकारी नवल किशोर चौधरी, जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार, भागलपुर के वरीय आरक्षी अधीक्षक हृदय कान्त, नवगछिया की आरक्षी अधीक्षक प्रेरणा कुमार, बांका के आरक्षी अधीक्षक उपेन्द्र नाथ वर्मा, भागलपुर के उप विकास आयुक्त प्रदीप सिंह एवं भागलपुर एवं बांका के नगर निकायों के अधिकारियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए रेरा बिहार के जांच आयुक्त संजय सिंह ने कहा कि यह सभी को समझाना होगा की रेरा कानून बहुत ही सूझ समझ कर बनाया गया है ताकि घर खरीदारों के हितों की रक्षा हो सके। उन्होंने यह भी कहा की इस कानून का और उद्देश्य है कि सभी हितधारकों के शिकायतों का त्वरित निष्पादन करना है। इस अवसर पर बोलते हुए भागलपुर के जिला पदाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने कहा कि प्राधिकरण को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए की घर खरीदारों की वास्तविक समस्याएं क्या है ताकि रेरा बिहार के विनियम को उसी हिसाब से बनाया जा सके।